




गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार
(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)
GURUKULA KANGRI (Deemed to be University), HARIDWAR
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक : Reg/2025-26 /1553

दिनांक : 24.02.2026

कार्यालय सूचना

समविश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय एवं कुलसचिव कार्यालय में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस सम्बन्ध में शिकायकर्ताओं को सूच्य है कि शिकायती पत्र के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि संलग्न करने होंगे। शिकायतकर्ता को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जब भी उनको समविश्वविद्यालय में बुलाया जाता है तो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना होगा तथा शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाये जाने पर उसके खिलाफ विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में शिकायती पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


कुलसचिव
(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :

1. मा0 कुलपति जी
2. वित्ताधिकारी
3. परीक्षा नियन्त्रक
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ
6. डीन, छात्र कल्याण
7. मुख्य अनुशासन अधिकारी
8. समस्त संकायाध्यक्ष
9. कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून
10. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी
11. प्रभारी, कन्या गुरुकुल, हरिद्वार
12. समस्त कार्यालयाध्यक्ष
13. समविश्वविद्यालय वैबसाईट
14. कुलसचिव कार्यालय


कुलसचिव
(कार्यवाहक)